HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8125/2025

Harbhan Singh Son of Shri Mohan Singh, Aged About 57 Years, Resident of Behind Teja Hospital, Mohalla Gopalgarh, Bharatpur, Police Station Mathura Gate, Bharatpur, District Bharatpur (Rajasthan)

----Complainant/Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through P.P.
2. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Superintendent of Police, Bharatpur, District Bharatpur (Raj.)
4. S.H.O. Police Station Bayana, District Bharatpur (Rajasthan)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajesh Kumari Kandwal, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

26/02/2026

1. याची/परिवादी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या– 1/2025 पर सुना गया।

2. प्रार्थना पत्र के जरिये कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेपों को दूर करने की प्रार्थना की गई है।

3. कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेपों की प्रकृति एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेपों को दूर किया जाकर उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

4. याची/परिवादी की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **113/2025**, पुलिस थाना– **बयाना**, जिला– **भरतपुर**, अपराध अंतर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 352, 351(3), 324(2)**

भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में उसकी निष्पक्ष, प्रभावी व शीघ्र जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

5. विद्वान अधिवक्ता याची/परिवादी का कथन है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 113/2025 में विधि अनुसार निष्पक्ष एवं प्रभावी अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, अतः प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिये जावे कि प्रकरण में यथाशीघ्र प्रभावी एवं निष्पक्ष अनुसंधान की कार्यवाही कर अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत करे।

6. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रभावी रूप से निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है एवं साथ ही कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Sakiri Vasu Vs. State of Uttar Pradesh, AIR 2008 Supreme Court 907** के अनुसार अनुसंधान के पर्यवेक्षण करने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को उपलब्ध है तथा याची/परिवादी को यदि कोई व्यथा है तो वह संबंधित सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

7. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sakiri Vasu (Supra)** के मामले में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट को अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने की अधिकारिता प्राप्त है, ऐसी स्थिति में यदि याची/परिवादी को उक्त अनुसंधान के संदर्भ में कोई व्यथा है तो वह संबंधित सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपचार हेतु चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है।

9. याची/परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विद्वान न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार शीघ्रता से निस्तारण करेंगे।

10. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त याचिका उपरोक्त अनुसार निस्तारित की जाती है।

11. प्रकरण से संबंधित यदि कोई अन्य प्रार्थना पत्र लंबित हों, तो वे भी निस्तारित किए जाते हैं।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /154